न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश प्रसाद गौड़, आर.ए.एस.

गुण्डा एक्ट प्रकरण संख्या :– 05/2022

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू।

–बनाम–

अशोक कुमार पुत्र बनवारी लाल जाति मीणा, निवासी सोलाना, पुलिस थाना चिड़ावा, जिला झुन्झुनू।

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 2 खण्ड (ख)(3)
राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975

उपस्थिति :–

1. श्री सहायक लोक अभियोजक (प्रथम) ———————सरकार की ओर से।

–निर्णय– दिनांक 30.12.2022

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू ने दिनांक 04.02.2013 को गैर सायल अशोक कुमार पुत्र बनवारी लाल जाति मीणा, निवासी सोलाना, पुलिस थाना चिड़ावा, जिला झुन्झुनू के खिलाफ न्यायालय हाजा में दायर किया जो दर्ज किया जाकर गैरसायल की तलबी के नोटिस जारी किये। दिनांक 03.11.2020 को यह प्रकरण क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर न्यायालय श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू के यहां स्थानान्तरित किया गया। सक्षेप में इस्तगासा का सार इस प्रकार है कि अशोक कुमार पुत्र बनवारी लाल जाति मीणा, निवासी सोलाना, पुलिस थाना चिड़ावा, जिला झुन्झुनू का रहने वाला है जो एक अपराधिक मनोवृति का बदमाश व्यक्ति है एवं शराब बेचने का काम करता है। यह अपनी आपराधिक/असामाजिक गतिविधियों से ग्राम सोलाना व आस–पास के ईलाका में आम नागरिकों को शराब बेचता है एवं गम्भीर रूप से आतंकित कर रखा है। इसकी आपराधिक गतिविधियां लगातार बढ रही है जिससे समाज में नवयुवकों पर बुरा असर पड़ रहा है। इसका चिड़ावा थाना इलाके में इतना भय एवं डर व्याप्त है कि इसके चलते कोई भी व्यक्ति इसके खिलाफ थाने पर सूचना या रिपोर्ट दर्ज कराने में कतराता है तथा ना ही कोई गवाही देने के लिए तैयार है। इसकी आपराधिक गतिविधियां इतनी बढ चुकी है कि जिससे ईलाका थाना चिड़ावा में आम जन की जान माल को नुकसान हो सकता है। इसके खिलाफ आबकारी अधिनियम 1950 के तहत अनेक अभियोग दर्ज किये गये हैं जिनमें से दो प्रकरणों में न्यायालय द्वारा अपराधी मानकर दण्डित किया गया है तथा दो मामले

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.01.09 16:14:24 IST
Reason: SelfAttested

वर्तमान में पैण्डिग है। इसके जिले की सीमाओं में रहने से अपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। उक्त शख्स द्वारा किये गये अपराध एंव दोषसिद्धि का विवरण निम्न प्रकार है :–

1. अभियोग संख्या 148/2003 दिनांक 05.06.2003 धारा 16/54 आबकारी अधि0 थाना चिड़ावा, झुंझुनू में पंजीबद्ध होकर आरोप पत्र संख्या 96 दिनांक 04.09.2003 को न्यायालय में पेश किया गया। जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 17.01.2004 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुये 200 रू. अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।

2. अभियोग संख्या 138/2004 दिनांक 30.05.2004 धारा 16/54 आबकारी अधि0 थाना चिड़ावा, झुंझुनू में पंजीबद्ध होकर आरोप पत्र संख्या 101 दिनांक 30.06.2004 को न्यायालय में पेश किया गया। जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 25.02.2008 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुये 450 रू. अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।

3. अभियोग संख्या 05/2007 दिनांक 09.01.2007 धारा 16/54 आबकारी अधि0 थाना चिड़ावा, झुंझुनू में पंजीबद्ध होकर आरोप पत्र संख्या 08 दिनांक 21.01.2007 को न्यायालय में पेश किया गया। जो अभी न्यायालय में विचाराधीन है।

4. अभियोग संख्या 103/2008 दिनांक 19.04.2008 धारा 16/54 आबकारी अधि0 थाना चिड़ावा, झुंझुनू में पंजीबद्ध होकर आरोप पत्र संख्या 73 दिनांक 28.05.2008 को न्यायालय में पेश किया गया। जो अभी न्यायालय में विचाराधीन है।

इस प्रकार उक्त अशोक कुमार पुत्र बनवारी लाल जाति मीणा, निवासी सोलाना, पुलिस थाना चिड़ावा, जिला झुन्झुनू का यह कृत्य राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 के खण्ड (ख) उपखण्ड (3) की परिभाषा में पूर्ण रूप से आता है, जिसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावें।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट झुन्झुनू से दिनांक 18.04.2022 को प्रकरण न्यायालय हाजा में हस्तानान्तरित होने पर इस्तगासा दर्ज रजिस्टर किया जाकर पर गैर सायल को उसके खिलाफ लगाये आरोपों की सूचना को नोटिस देकर तलब किया गया जिस पर गैर सायल अपने अधिवक्ता बिरजूसिंह के साथ दिनांक 19.12.2022 को उपस्थित हुआ। जिसे दिनांक 19.12.2022 को गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम का सारांश सुनाया गया, जिसे गैर सायल द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र देकर स्वीकार किया जाने पर बहस अन्तिम सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान एपीपी–1 ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि गैर सायल के खिलाफ पुलिस [illegible] में 4 अभियोग दर्ज होकर न्यायालय में चालान पेश किये गये हैं तथा जिनमें दो प्रकरण में गैर सायल जुर्माने से दण्डित हुआ है। तथा दो प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। इस प्रकार गैर सायल राजस्थान

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.01.09 16:14:24 IST
Reason: SelfAttested

गुण्डा नियंत्रण अधि0 1975 की धारा 2 खण्ड (ख) के उपखण्ड (3) में अंकित धारा के अधीन 2 बार दोषसिद्ध होने के कारण गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः इसे झुंझुनू जिले की सर्म्पूण सीमा से निष्कासित किया जावे।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात/साक्ष्य के मुताबिक अशोक कुमार पुत्र बनवारी लाल जाति मीणा, निवासी सोलाना, पुलिस थाना चिड़ावा, जिला झुन्झुनू के खिलाफ पुलिस थाना चिड़ावा, झुंझुनू में चार अभियोग दर्ज होकर न्यायालय में चालान पेश किये गये हैं तथा जिनमें से दो प्रकरणों में गैर सायल जुर्माने से दण्डित हुआ है तथा दो प्रकरणों में विचाराधीन है। गैर सायल अशोक कुमार पुत्र बनवारी लाल जाति मीणा राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 के अन्तर्गत 4 बार अपराध करने के कारण गुण्डा की परिभाषा में आता है। उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसार ऐसे प्रकरणों पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान लागू नही होते हैं तथा साक्ष्य का प्रोबेटिव वेल्यू होने के कारण उक्त दस्तावेज सम्पुष्टि के लिए पर्याप्त है। अतः प्रत्येक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्जकर्ता व चालान पेशकर्ता का आकर साबित करना आवश्यक नही है तथा राज0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के नियम 3 के अनुसार पुलिस अधीक्षक की लिखित सूचना पर धारा 3 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा सकती है। किसी व्यक्ति विशेष की शिकायत की आवश्यकता नही है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य/सबूत को दृष्टिगत रखते हुए मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि गैरसायल यदि इस जिले में बना रहता है तो वह ऐसे अपराधो की पुनरावृति में पुनः लगकर युवा पीढी को ऐसी सामाजिक बुराई के अपराध में संलिप्त कर उन्हे दिशा भ्रमित कर सामाजिक व्यवस्था को भंग कर सकता है तथा आम जन की जान माल को नुकसान हो सकता है। ऐसी स्थिति में गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 3 (ख) (।।) मे अंकित विश्वास के कारणों के कारण गैरसायल अशोक कुमार पुत्र बनवारी लाल जाति मीणा, निवासी सोलाना, पुलिस थाना चिड़ावा, झुन्झुनू को इस जिले से निष्कासित करना न्यायोचित व आवश्यक समझता हूं।

अतः गैरसायल अशोक कुमार पुत्र बनवारी लाल जाति मीणा, निवासी सोलाना, पुलिस थाना चिड़ावा, जिला झुन्झुनू, को राज0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3(ख) (II) के तहत 15 दिवस की अवधि के लिए झुन्झुनू जिले की सम्पूर्ण सीमा से बाहर पुलिस थाना कोतवाली, जिला सीकर निष्कासित किये जाने के आदेश दिये जाते है। इस दौरान गैर सायल ऐसे अपराध एवं अन्य असामाजिक गतिविधियों में शामिल नही रहेगा तथा गैर सायल अशोक कुमार पुत्र बनवारी लाल जाति मीणा, निवासी सोलाना, पुलिस थाना चिड़ावा, जिला झुन्झुनू उक्त 15 दिवस की निष्कासित अवधि मे जहॉं भी निवास करे, थानाधिकारी, पुलिस

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.01.09 16:14:24 IST
Reason: SelfAttested

थाना कोतवाली, जिला सीकर को अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर उस स्थान की सूचना थाना चिड़ावा को देंगे तथा थानाधिकारी पुलिस थाना चिड़ावा झुंझुनू उचित पते की सूचना प्राप्त होने पर गैर सायल की गतिविधियों बाबत पाक्षिक सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। यह निर्णय दिनांक 30.12.2022 के पश्चात 15 दिवस के बाद से प्रभावी होगा। निर्णय की प्रति पुलिस अधीक्षक झुन्झुनू को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 30.12.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.01.09 16:14:24 IST
Reason: SelfAttested